न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:— 08 / 2024 तारीख रजू:—05.06.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2024 / 49

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. सॉवरा पुत्र लादया माली निवासी शिवाड, तहसील चौथ का बरवाड़ा
2. भैरू पुत्र लादया माली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाडा
3. शंकर दत्तक पुत्र गोपाल पुत्र लादया माली निवासी शिवाड, तहसील चौथ का बरवाड़ा
4. रघुनाथ पुत्र किशन पुत्र लादया माली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाडा
5. सुखदेवा पुत्र किशन पुत्र लादया माली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित::—

वकील प्रार्थीगण :—श्री दिनेश पारीक एडवोकेट

अप्रार्थी :— पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:—03.11.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि—

❖ लादु उर्फ लादया माली वादीगण 1 व 2 का पिता व 3 से 5 पितामह है जिसकी मृत्यू दिनांक 13.12.1992 को हो चुकी है मृत्यू प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है।

❖ खसरा नमबर 2192 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोबस्त सं० 2009 से 2022 में दर्ज है। जो लादया पुत्र मंगल्या माली के नाम दर्ज है। खतौनी संलग्न है ।

❖ खसरा नम्बर 2192 रकबा 16 बिस्वा का [illegible] रकबा 0.20 हैक्टर बना है जिसका मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

❖ खसरा नम्बर 2789 रकबा 0.20 में राज[illegible] माली के स्थान पर लछमन पुत्र मंगल्या माली [illegible] त्रुटी से हुआ है जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक [illegible]माबंदी संलग्न है।

❖ लादु उर्फ लादया माली वादीगण 1 व 2 का पिता व 3 से 5 पितामह है जिसकी मृत्यू दिनांक 13.12.1992 को हो चुकी है मृत्यू प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

- ❖ खसरा नमबर 2192 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोबस्त सं० 2009 से 2022 में दर्ज है। जो लादया पुत्र मंगल्या माली के नाम दर्ज है। खतौनी संलग्न है ।

- ❖ खसरा नम्बर 2192 रकबा 16 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 2789 रकबा 0.20 हैक्टर बना है जिसका मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

- ❖ खसरा नम्बर 2789 रकबा 0.20 में राजस्व रिकार्ड में लादया पुत्र मंगल्या माली के स्थान पर लछमन पुत्र मंगल्या माली दर्ज हो गया है जो लिपिकीय त्रुटी से हुआ है जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है जमाबंदी संलग्न है।

- ❖ राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधित कराया जाना पूर्णतया न्यायोचित एंव आवश्यक है।

- ❖ अतः श्रीमान्जी के समक्ष वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में लछमन पुत्र मगल्या माली के स्थान पर लादया पुत्र मंगल्या दुरूस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज फरमाने की कृपा करें । राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधित कराया जाना पूर्णतया न्यायोचित एंव आवश्यक है

- ❖ अतः श्रीमान्जी के समक्ष वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड मे लछमन पुत्र मगल्या माली के स्थान पर लादया पुत्र मंगल्या दुरूस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज फरमाने की कृपा करें ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने उनवानी प्रकरण में अपने पत्रांक भू0अ0/2025/1255 दिनांक 11.06.2025 द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई है, जो निम्नानुसार है–

- लादू उर्फ लादया जाति माली वादीगण सांवरा व भैरू के पिता व सुखदेवा, रघुनाथ एवं शंकर के दादा थे जिनकी मृत्यु मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.12.1992 को हो चुकी है।
- खतौनी बन्दोबस्त ग्राम शिवाड संवत 2009–2022 में खसरा नम्बर 2192 रकबा 16 बिस्वा लादया वल्द मंगल्या माली राहिन रूघनाथ पि० पुत्तवना माघो कोम नाई सा०देह मुरतहीन दर्ज है।
- मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 2192 का हाल खसरा नम्बर 2789 रकबा 0.20 है० बना है।
- खसरा नम्बर 2789 रकबा 0.20 है० किस्म चाही ए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लछमन पुत्र मंगल्या जाति माली के नाम दर्ज है।
- ग्राम शिवाड के खसरा नम्बर 2789 रकबा 0.20 है० में लछमन पुत्र मं[illegible] बजाय लादया पुत्र मंगल्या जाति माली किये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.07 14:23:10 IST
Reason: SelfAttested

4. बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

5. मैने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

6. स्थायी जमाबंदी दिनांक 25.09.2022 ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खाता संख्या 588 में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पिता एवं 3 लगायत 5 के का दादा का नाम लादया पुत्र मंगल्या जाति माली होने की पुष्टि होती है।

7. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट में भी उपरोक्त शुद्धी करने की अभिशंषा की गई है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पिता एवं 3 लगायत 5 के का दादा का नाम लादया पुत्र मंगल्या जाति माली शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी के खाता संख्या 588 में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पिता एवं 3 लगायत 5 के का दादा का नाम लादया पुत्र मंगल्या जाति माली दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendr
Date: 2025.11.07 14:23:10
Reason: SelfAttested